

प्रेपक,

श्री राम किशोर,  
अनु सचिव,  
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनांक-20 अप्रैल, 2001

विषय : एस.जे.एस.आर.वाई को उपयोजना यू.एस.ई.पी. के अन्तर्गत ट्रेनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवसीमा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी रोज़गार और गरीबी उपशमन विभाग ने अपने पत्रांक : जी-24011/9/2000-एम.आई.एस./यू.पी..ए., दिनांक 19 अप्रैल, 2001 में उल्लेख किया है कि एस.जे.एस.आर.वाई को उपयोजना यू.एस.ई.पी. में उपलब्ध कुल धनराशि में से ट्रेनिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मद में क्रमशः 05 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक को धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

2. अतः भारत सरकार से प्राप्त उपर्युक्त मार्ग-निर्देश के अनुसार कृपया कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(राम किशोर)  
अनु सचिव

संख्या : माल 35(1)/69-1-2001-01(एस.जे.)/97, तदनिर्दाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त परिं निदेशक/परिं अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
3. अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय यू.पी.ए.डिवीजन, निर्माण भवन, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त पत्र दि० 19-03-2001 के संदर्भ में सूचनार्थी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(राम किशोर)  
अनु सचिव